बारिश के कारण धान की खरीद 1 अक्तूबर से होगी शुरू

चंडीगढ़/धरणी : हरियाणा में 20 सितंबर तक ही औसत से दोगुनी से भी अधिक हुई बारिश के चलते खरीफ विपणन सीजन 2024- 25 के तहत धान की सरकारी खरीद 23 सितंबर की बजाय अब 1 अक्तूबर से शुरू होगी। लगातार हो रही बारिश के कारण सभी जिलों में फसलों में नमी की मात्रा बढ़ रही है, जिससे किसानों को फसल काटने और सुखाने में देरी की संभावना है। इसलिए खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद की अवधि अब 1 अक्तूबर से 15 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है ताकि किसान अपनी फसल को सुखाकर मण्डियों में सरकारी खरीद हेतु ला सके।

खर्च पर्यवेक्षक चुनाव से जुड़े अधिकारियों पर हुए सख्त

चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक लेते हुए खर्च पर्यवेक्षक अनुराग दूबे।

चुनाव में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : अनुराग दुबे

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

पानीपत/कौशिक : खर्च पर्यवेक्षक अनुराग दुबे ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी तालमेल से काम करें, चुनाव में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खर्च पर्यवेक्षक शुक्रवार देर सायं जिला सचिवालय सभागार में चुनाव से जुड़े अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सजगता से काम करें। एसएसटी और एफएसटी टीमें अपनी जिम्मेदारी को समझें और जो भी खर्चा उम्मीदवार द्वारा किया जाता है उसकी जानकारी तुरंत खर्चा रजिस्टर में दर्ज हो।

उन्होंने कहा कि 40 लाख रूपये में कोई विधानसभा चुनाव नहीं किया जा सकता, फिर भी टीमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अवहेलना की जा रही है फिर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वह जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। उन्हें अपने आप जाकर सूचना इक्कठी करनी पड़ रही है परन्तु सम्बंधित टीमें कोई जानकारी नही दे रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने कहा कि एफएसटी टीम गम्भीरता से काम करें। उन्होंने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारी को निर्देश दिए कि यदि किसी को डयूटी में दिक्कत है या कोई चुनाव सम्बंधी सूचना देनी है तो वह उसको किसी भी समय उनके मोबाईल नम्बर पर वट्ड्सअप के माध्यम से दे सकते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक लोकेन्द्र सिंह ने चुनाव से जुड़े पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए कि उनकी जिस भी टीम के साथ डयूटी लगाई गई है वह उसी टीम के साथ ड्यूटी करें अपने आप ड्यूटी को ना बदले। इस मौके पर एडीसी डॉ.पंकज यादव, सीईओ जिला परिषद नरेद्र मलिक, एमडी शुगरमील मनदीप सिंह, पानीपत ग्रामीण विधान सभा के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम ब्रहम प्रकाश, इसराना विधानसभा की रिटर्निंग अधिकारी ज्योति मित्तल, सीटीएम टिनू पोशवाल व डीएसपी सतीश वत्स सहित चुनाव से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।

सर्व समाज एकता मंच की महापंचायत आज, समर्थन पर होगा निर्णय

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

पानीपत/कौशिक : सर्व समाज एकता मंच के सदस्यों द्वारा आज यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में विधानसभा चुनाव में किसको समर्थन दिया जाए को लेकर कल रविवार को एक महापंचायत बुलाई गई है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए सर्व समाज एकता मंच के प्रधान राम रत्न शर्मा ने बताया कि संगठन सर्व समाज एकता मंच पिछले दस सालों से जिला के 36 बिरादरी के लोगों की समस्याओं को उठाता आया है। जिसमें सनौली रोड, बरसत रोड , कालोनियों की समस्याएं शामिल हैं। इस संगठन में भी 36 बिरादरी के लोगों को शामिल किया गया है। रतन शर्मा ने कहा कि चुनाव के इस माहौल में हमारा संगठन किस प्रत्याशी को समर्थन देगा इसको लेकर न केवल संगठन बल्कि पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अन्य संगठनों के पदाधिकारी, 36 बिरादरी के गणमान्य लोगों की एक महापंचायत रविवार को 11 बजे बरसत रोड स्थित हर्ष गार्डन में बुलाई गई है। प्रधान रतन शर्मा ने मीडिया के माध्यम से पानीपत ग्रामीण की 36 बिरादरी के सभी गणमान्य व्यक्तियों को महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए सर्व समाज एकता मंच के प्रधान राम रत्न शर्मा।

FORMAT C-1

Declaration about criminal cases (for candidate to publish in Newspapers, TV)

(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.

Name and address of candidate : Bhupinder Singh Hooda, VPO-Sanghi, Rothak
Name of political party : Indian National Congress
Name of Election : Haryana Vidhan Sabha - 2024
Name of Constituency : 61-Garhi Sampla-Kiloi

I, Bhupinder Singh Hooda, a candidate of the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending Criminal Cases

SI No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	Special Judge, CBI, Panchkula	PC/03/2018. In case FIR RC CHG 2015 A 0019, dated 15.9.2015 PS ACB, CBI, Chandigarh. It is now fixed for 14.10.2024.	Charges have been framed on 01.12.2020. Case is not proceeding further in the trial court on account of interim order passed by Hon'ble Punjab & Haryana High Court	120-B read with 420 IPC and 13(2) read with 13(1)(d) of PC Act, 1988. Criminal conspiracy, cheating and dishonestly inducing delivery of property, criminal misconduct by public servant.
2.	Special Judge, CBI, Panchkula	PC/16/2018. In case FIR RC CHG 2017 A 0008, dated 5.4.2017 PS ACB, CBI, Chandigarh. It is now fixed for 14.10.2024.	Charges have been framed on 16.04.2021. Proceedings before trial court have been stayed by Hon'ble Punjab & Haryana High Court	120-B read with 420 IPC and 13(2) read with 13(1)(d) of PC Act, 1988. Criminal conspiracy, cheating and dishonestly inducing delivery of property, criminal misconduct by public servant.
3.	Special Judge, PMLA, Panchkula	COMA/42/2019. In EC IR/CDZO/02/2016 by Enforcement Directorate, Chandigarh. It is now fixed for 14.10.2024.	Awaiting orders of Hon'ble Punjab & Haryana High Court	Sections 3/4 read with section 70 of The Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003). .... Money Laundering.
4.	Special Judge, PMLA, Panchkula	COMA/3/2021. In EC IR/CDZO/01/2016 by Enforcement Directorate, Chandigarh. It is now fixed for 16.11.2024.	Awaiting submission of final report in predicate offence.	Sections 3/4 read with section 70 of The Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003). .... Money Laundering.
5.	Nil	FIR No. RCAC 1 2019 A 0002 dated 23.1.2019, PS CBI/AC-1.	Under Investigation	120-B read with 420 IPC and 13(1)(d) of PC Act, 1988. Criminal conspiracy, cheating and dishonestly inducing delivery of property, criminal misconduct by public servant.
6.	Nil	FIR No. 288, Dated 1.9.2018, PS Kherki Daula, Gurugram, Haryana.	Under Investigation	420,467,468,471 read with 120-B IPC and 13 of PC Act, 1988. Criminal conspiracy, forgery, cheating and dishonestly inducing delivery of property, criminal misconduct by public servant.
7.	Nil	FIR No. RC AC 1 2016 A 0002, dated 19.5.2016, PS AC-1, CBI, New Delhi.	Under Investigation	120-B, 201,204,409,420,467, 468,471 and 13 of PC Act, 1988.Criminal conspiracy, disappearance of evidence, destruction of evidence, criminal breach of trust by public servant, cheating and dishonestly inducing delivery of property, forgery of valuable security, will etc., forgery for purpose of cheating, using as genuine a forged document/electronic record, criminal misconduct by public servant.
8.	Nil	EC IR/HIU/03/2019 registered by Enforcement Directorate, Chandigarh.	Under Investigation	The Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003). ..... Money Laundering.

(B) Details about cases of conviction for criminal offences. **---------- Not Applicable ----**

SI No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & Punishment Imposed.	Maximum Punishment Imposed.
Nil	Nil	Nil	Nil

बीजेपी के सारे वादे निकले जुमले, बीजेपी मतलब भारतीय झूठा पार्टी : संजय सिंह

हरियाणा में अगली सरकार का रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

गुरुग्राम : राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सोहना विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र खटाना के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मेवात से मशहूर युवा गायक असलम ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। सांसद संजय सिंह ने कहा कि जनता का जोश देखकर मुझे यकीन हो गया है कि इस बार धर्मेंद्र खटाना विधानसभा में पहुंच रहे हैं। पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी का शासन है। इन 10 सालों में किसकी जिंदगी में बदलाव आया यदि ये सोचोगे तो चुनाव में सही निर्णय ले पाओगे। यदि बीजेपी के झूठ को याद करोगे तो याद करना कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था।

सांसद और आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता संजय सिंह को सम्मानित किए जाने का दृश्य।

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि महंगाई कम कर देंगे, लेकिन डीजल 100 पार हुआ, पैट्रोल 110 पार हुआ, टमाटर 250 रुपए किलो बिका, सब्जी महंगी, सरसों का तेल महंगा हुआ और गैस सिलेंडर 1200 का हो गया। बीजेपी ने महंगाई को आसमान पर पहुंचाने का काम किया है। बीजेपी ने काला धान लाने का वादा किया था कि इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा, लेकिन किसी के खाते में 15 पैसे नहीं आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था। जब किसानों ने कहा कि हमारी फसलों का दाम दोगुना कर दो तो उन पर लाठियां बरसाई गई। तीन काले कृषि कानूनों का विरोध किया तो किसानों के रास्ते में किले ठोक दी गई और उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है। पहलवानों ने अपना हक मांगा तो उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीट कर पीटा गया। बीजेपी ने किसानों, पहलवानों, नौजवानों और महंगाई के नाम पर माताओं बहनों को धोखा दिया। बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, बीजेपी भारतीय झूठा पार्टी है। बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अग्निवीर योजना लेकर आई और भारत की सेना को ठेके पर रखने का काम किया। भारत की सेना हमारे लिए गौरव का विषय है।

फार्म नं. 3
देखें (विनियमन-15 (1) (ए)/16(3)
कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम मंजिल एससीओ 33-34-35 सैक्टर-17ए, चंडीगढ़ (तृतीय और चतुर्थ मंजिल पर भी अतिरिक्त आवंटित स्थान)

केस नं. ओए/137/2024

कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन्ज़

Exh. No. 23717

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
बनाम
सुनील कुमार खन्नागवाल

सेवा में,
(1) सुनील कुमार खन्नागवाल
D/W/S/O- रामफल सिंह
श्री सुनील कुमार खन्नागवाल पुत्र श्री रामफल सिंह निवासी मकान नं. 1454 पी, सैक्टर 1, हुड्डा कालोनी, रोहतक हरियाणा-124001.
रोहतक हरियाणा-124001.

सम्मन्ज़

जैसे कि, ओए/137/2024 माननीय प्रीजाइडिंग ऑफिसर/22.08.2024 पर पंजीकरण सूचीबद्ध था।

जैसे कि, यह माननीय ट्रिब्यूनल से अधिनियम की धारा 19(4) (ओ ए) के अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र पर सम्मन्ज द्वारा जारी किया गया, रु. 2411152.24/- के कर वसूली के लिए आप द्वारा भरना होगा (दस्तावेजों वगैरहा के परिष्ठि की कापियों के साथ-साथ प्रार्थना पत्र)

आप अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के साथ तदनानुसार जैसा कि निम्न प्रतिभागी निर्देशित किए गए हैं :-

(i) सम्मन्ज की सर्विस के 30 दिनों के भीतर-भीतर कारण बताओ, कि क्यों आपको छुटकारा दिया जाना चाहिए।

(ii) असल प्रार्थना प्रपत्र के क्र. 3ए के अन्तर्गत आवेदक द्वारा सम्पत्तियों और सम्पति विशेष अन्य सम्पत्तियों या सम्पत्तियों के विवरणों को डिसक्लोज कर दिया गया।

(iii) सम्पत्तियों की सलंग्ता के लिए प्रार्थना पत्र की पेंडिंग, हेयरिंग और डिस्पोजल, असल प्रार्थना पत्र के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत बंद सम्पत्तियों और अन्य ऐसी सम्पत्तियों या सुरक्षित सम्पत्तियों की डिस्पोजिंग या डीलिंग से आप प्रतिरोधित हैं।

(iv) आप ट्रिब्यूनल की प्रारंभिक स्वीकृति के बिना असल प्रार्थना पत्र के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत विशेष या बंद की गई सम्पत्तियों और अन्य सम्पत्तियों और/या जो सुरक्षाहित बनाई गई है से ऊपर की किसी सम्पति या उसके बिजनेस के ऑर्डीनरी कोर्स में अतिरिक्त बिक्री या पट्टे के रास्ते द्वारा परिवर्तित नहीं करेंगे।

(v) ऐसी सम्पत्तियों पर सुरक्षाहित वित्तीय संस्थानों की होल्डिंग या बैंक से मैनेटेंड खाते में ऐसी बिक्री प्रोसीडज जमा और बिजनेस के ऑर्डीनरी कोर्स में सम्पत्तियों और अन्य सम्पत्तियों या सुरक्षित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बिक्री प्रोसीडज जारी करने के लिए आप खाते के ही उत्तरदायी होंगे।

आपको लिखित में सीधे फाइल में स्टेटमेंट के साथ उसकी एक कापी आवेदक को तिथि 19.11.2024 को प्रात:10.30 बजे या इससे पहले रजिस्ट्रार को देनी होगी, वरना आपकी अनुपस्थिति में निर्णय और सुनवाई प्रार्थना पत्र पर कर दी जाएगी।

मेरे हस्ताक्षर एवं इस ट्रिब्यूनल की मोहर के साथ यह तिथि 23.08.2024 को जारी किया।

सम्मन्ज जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

डोर-टू-डोर कैंपेन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता को मिला भारी जनसमर्थन

उत्तम हिन्दू न्यूज़ नेटवर्क

करनाल/ हरीश चावला : करनाल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह ने शनिवार को पुराना शहर एरिया में डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। बांसो गेट एरिया में लोगों ने घरों से बाहर आकर जहां सुमिता सिंह का स्वागत किया, वहीं वोट देकर विधायक बनाने का वादा भी किया। इस पर सुमिता सिंह ने कहा कि करनाल की जनता से किए हर वादे को पूरा किया जाएगा। करनाल के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। वह करनाल के विकास के लिए विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगी। सुमिता सिंह ने काछवा, अंसल टाउन, गोहसियांन मोहल्ला, मेरठ रोड, विकास कालोनी, सैक्टर आठ, सैक्टर सात, शक्ति कालोनी, सर्राफा बाजार, मंगल कालोनी, बकरा मार्केट, शिव कालोनी, प्रेम कालोनी, संत नगर, राजीव कालोनी, रामनगर व अशोक नगर में नुक्कड़ सभाओं व जनसभाओं को संबोधित किया।

कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह का स्वागत करती महिलाएं।

कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए सुमिता सिंह ने कहा कि सभी वादों को पूरा किया जाएगा। करनाल में अवैध कालोनियों को वैध करवाने का काम करेंगे ताकि आम आदमी का भला हो सके। बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जाएंगे। करनाल को हरियाणा का नंबर वन जिला बनाएंगे।

सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मिले पूर्व पार्षद : हाल ही में भाजपा छोडक़र कांग्रेस में शामिल हुए कई पूर्व पार्षदों ने रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा से करनाल में मुलाकात की। इनमें प्रमुख तौर पर युद्धवीर सैनी, बलविंद्र कालड़ा, रामचंद्र काला, जतिन कालड़ा, गिन्नी विर्क व ईश गुलाटी शामिल रहें। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है। पार्षद चुने हुए जन प्रतिनिधि होते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने पर पार्षदों का सम्मान बढ़ाया जाएगा।

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059, इंडिया
शाखा कार्यालय: प्लॉट नं. 45-46, प्रथम मंजिल, सत करतार कॉम्पलैक्स, 45, वजीर चंद कालोनी, सामने मुगल कनाल फाउंटेन चौक, करनाल-132001
शाखा कार्यालय: प्रथम मंजिल, नं. 159/20, सुधा कॉम्पलैक्स, एटल्स रोड, नजदीक सुभाष चौक, सोनीपत-131001

(नियम 8 (6) का परंतुक देखें)
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतू सूचना

सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 (6) की शर्तों के साथ सुरक्षाहित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभूतिकरण और वित्तीय सम्पत्तियों के विनिर्माण के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री की सूचना।

एतद् द्वारा सार्वजनिक सूचना हेतु और ऋणदाता(ों) और ग्रांटर(ों) के विवरणों में सूचित किया जाता है कि निम्न निर्धारित अचल सम्पत्ति बंधक/चार्जड सिक्योरड क्रैडिटर, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा **कब्जा** 'जैसे हैं जहां है', 'जैसे है क्या है' और 'जो भी है वहां है' के आधार पर निम्न के अन्तर्गत दिए संक्षिप्त विवरणों अनुसार बिक्री की जाएगी।

क्र. सं.	ऋणदाता (ों)/सह ऋणदाताओं/ ग्रांटरों/कानूनी वारिसों के नाम, ऋण खाता नं.	सुरक्षित सम्पत्ति(ों) के साथ ऋणभार का विवरण यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित कीमत / जमा धरोहर राशि	जांची गई सम्पत्ति की तिथि एवं समय	निलामी की तिथि एवं समय	नीलामी तिथि से एक दिन पहले	सरफेसी स्टेज
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)
1.	हरि भान दत्त (ऋणदाता) शीलम शुक्ला (सह-ऋणदाता) Loan Account No. LHKNL00001299069	वार्ड नं. 8 में मकान, खेवट नं. 217/204, खतौनी नं. 282 से 285, गांव असंध, तहसील असंध जिला करनाल।	रु. 22,14,121/- 10, सितंबर 2024	रु. 19,54,125/- / रु. 1,95,413/-	04 अक्टूबर 2024 को प्रात: 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	10 अक्टूबर 2024 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक	09 अक्टूबर 2024 को सायं 05 बजे से पहले	भौतिक कब्जा
2.	अमित कुमार (ऋणदाता) कविता (सह-ऋणदाता) Loan Account No. LHSNP00001277768 & LHSNP00001277770	सम्पत्ति शामिल किला नं. 150 (0-2), किला नं. 24//8/5(0-8), 149(0-2), किला नं. 151(0-2), किला नं. 24//8/1 (0-8), 148 (0-2), रेवेन्यू एस्टेट में स्थित गांव माजरा तहसील एवं जिला सोनीपत।	रु. 37,45,807/- 10, सितंबर 2024	रु. 30,69,965/- / रु. 3,06,996/-	04 अक्टूबर 2024 को प्रात: 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	10 अक्टूबर 2024 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक	09 अक्टूबर 2024 को सायं 05 बजे से पहले	भौतिक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी **श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड** की वेबसाइट (**URL Link- eauctions.samil.in**) पर आयोजित की जाएगी। बंधककर्ताओं/नोटिस को **09 अक्टूबर, 2024** को शाम **05:00** बजे से पहले आगे के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने का अंतिम मौका दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा।

संभावित बोलीदाताओं को **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,** शाखा कार्यालय के पते पर में बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/ डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) **या 09 अक्टूबर, 2024 को सांय 4:00 बजे** से पहले जमा करना होगा। संभावित बोलीदाता(ों) पंजीकरण फार्मों और बोली के नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,** शाखा कार्यालय के पते पर **09 अक्टूबर 2024 को सायं 05.00 बजे से** पहले जमा की जा सकती है। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से '**आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी**' के पक्ष में **करनाल, सोनीपत** में देय होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी के नियम और शर्तों या निविदा जमा करने के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300** पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया देखें **https://www.icicihfc.com/**

तिथि: सितंबर 22, 2024
स्थान: करनाल, सोनीपत

प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
CIN Number U65922MH1999PLC120106